NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 30-09-2026

विषय सूची

भारत की साक्षरता में छलांग: विकसित भारत की ओर यात्रा

भारत में साइबर अपराधों में वृद्धि

सहायता-प्राप्त मृत्यु

आपदा प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

संक्षिप्त समाचार

घासभूमियाँ

अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC)

भारत के प्रथम PRAMAAN प्रमाणपत्र

भारत और जापान का UNICORN नौसैनिक रडार समझौता

पशुधन बीमा पोर्टल

मांदर को भौगोलिक संकेतक टैग

केंद्र ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटाया

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ((GRAP)

भारत की साक्षरता में छलांग: विकसित भारत की ओर यात्रा

सन्दर्भ

- भारत ने साक्षरता के क्षेत्र में प्रगति की है। PLFS 2025 के अनुसार, भारत की समग्र साक्षरता दर 81.1% है, जबकि ग्रामीण, लैंगिक और शैक्षिक स्तरों के बीच लगातार बने हुए अंतर पर जोर दिया गया है।

साक्षरता का परिचय

- स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग साक्षरता को समझ के साथ पढ़ने, लिखने और गणना करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें पहचानने, समझने, व्याख्या करने और सृजन करने की क्षमता के साथ-साथ डिजिटल और वित्तीय साक्षरता भी शामिल है।
- किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 95% साक्षरता प्राप्त करने पर उसे पूर्णतः साक्षर माना जाता है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, साक्षरता 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता है।
- यूनेस्को के अनुसार, साक्षरता समस्याओं को हल करने तथा कार्य, सीखने और दैनिक जीवन में भाग लेने के लिए पढ़ने, लिखने, संख्याओं और डिजिटल सामग्री का उपयोग करने की क्षमता है।
- इस प्रकार, साक्षरता समावेशन, समानता और मानव विकास की नींव के रूप में लगातार अधिक महत्त्वपूर्ण होती जा रही है।

भारत की साक्षरता में प्रगति

भारत ने एक बड़े परिवर्तन का अनुभव किया है:

- समग्र साक्षरता वर्ष 1951 में 18.32% से बढ़कर 2011 में 74.04% हो गई।
- पुरुष साक्षरता 27.15% से बढ़कर 82.14% हुई, जबकि महिला साक्षरता 8.86% से बढ़कर 65.46% हो गई।
- शहरी साक्षरता 34.59% से बढ़कर 84.1% हुई, जबकि ग्रामीण साक्षरता 12.10% से बढ़कर 67.8% हो गई।
- वर्ष 2001–11 के बीच, ग्रामीण महिला साक्षरता में 26% की वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण पुरुषों में यह वृद्धि 10% रही।
- PLFS 2025 के अनुसार समग्र साक्षरता 81.1% है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में शहरी साक्षरता 89% और ग्रामीण साक्षरता 77.4% थी; ग्रामीण महिला साक्षरता केवल 70.3% रही।

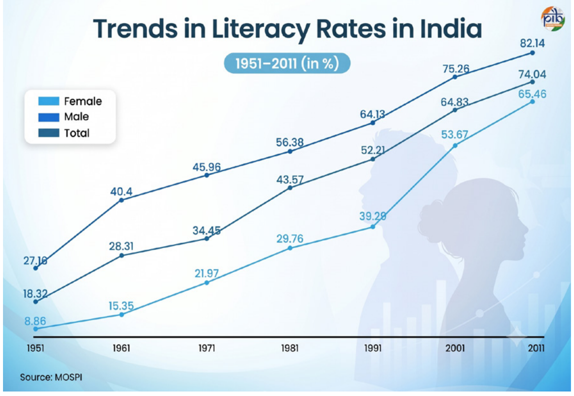

विद्यालयी शिक्षा: पहुँच, प्रतिधारण और सीखना

- साक्षरता में वृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि बच्चे विद्यालय में प्रवेश करें, विद्यालय में बने रहें और शिक्षा के विभिन्न स्तरों के माध्यम से आगे बढ़ें।
- UDISE+ 2025-26 के अनुसार,विद्यालयों में 24.72 करोड़ विद्यार्थी नामांकित थे।
- **सकल नामांकन अनुपात (GER):** बुनियादी स्तर पर 42.8%, प्रारंभिक स्तर पर 91.7%, मध्य स्तर पर 89.6% और माध्यमिक स्तर पर 71.7%।
- विद्यालय छोड़ने की दर विभिन्न स्तरों पर बढ़ती है, जो प्रारंभिक स्तर पर 1.8% से बढ़कर माध्यमिक स्तर पर 7% हो जाती है।
- प्रतिधारण दर बुनियादी स्तर पर 98.5% से घटकर माध्यमिक स्तर पर 51.9% रह जाती है।
- संक्रमण दर बुनियादी–प्रारंभिक स्तर के बीच 99.2%, प्रारंभिक–मध्य स्तर के बीच 93.8% और मध्य–माध्यमिक स्तर के बीच 88.3% है।
- इस प्रकार, माध्यमिक स्तर पर प्रतिधारण और सीखने की निरंतरता महत्त्वपूर्ण चिंताएँ बनी हुई हैं।

उच्च शिक्षा और मानव पूंजी

उच्च शिक्षा में भागीदारी का विस्तार हुआ है:

- नामांकन 2014-15 में 3.42 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 4.50 करोड़ हो गया।
- इसी अवधि में सकल नामांकन अनुपात (GER) 23.7% से बढ़कर 30% हो गया।
- उच्च शिक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 2014-15 में 88.28 लाख से बढ़कर 2023-24 में 1.09 करोड़ से अधिक हो गई।
- महिलाओं और वंचित समूहों की बढ़ती भागीदारी सहित यह विस्तार मानव पूंजी निर्माण में सहायक है तथा 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य का समर्थन करता है।

भारत की साक्षरता में प्रमुख मुद्दे और चिंताएँ

- **ग्रामीण–शहरी विभाजन:** PLFS 2025 के अनुसार, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच साक्षरता में 11.6 प्रतिशत अंकों का अंतर है।

- **लैंगिक असमानता:** ग्रामीण महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता की तुलना में अभी भी काफी कम है।
- **माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों का बाहर होना:** विद्यालय छोड़ने और घटती प्रतिधारण दर की समस्या उच्च विद्यालयी स्तरों पर अधिक स्पष्ट हो जाती है।
- **बुनियादी साक्षरता से आगे:** डिजिटल, वित्तीय, संख्यात्मक और महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल तेजी से आवश्यक होते जा रहे हैं।
- **समानता और समावेशन:** क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताओं पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **सीखने की गुणवत्ता:** केवल नामांकन पर्याप्त नहीं है; इसे बुनियादी दक्षताओं और सार्थक सीखने में परिवर्तित होना आवश्यक है।

सरकारी पहल

- **उल्लास (नव भारत साक्षरता कार्यक्रम):** यह उन 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को लक्षित करता है, जो औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं।
- यह मिश्रित प्रारूप के माध्यम से कार्यात्मक साक्षरता, संख्यात्मकता, महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल और आजीवन सीखने को एकीकृत करता है।
- इसका लक्ष्य 2022–27 के दौरान 5 करोड़ शिक्षार्थियों को शामिल करना है, जिसके लिए ₹1,037.90 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- लगभग 4.03 करोड़ शिक्षार्थियों और 52.20 लाख स्वयंसेवकों ने पंजीकरण कराया है, जबकि अब तक 3.3 करोड़ से अधिक लोग FLNAT में भाग ले चुके हैं।
- वर्ष 2024 से 2026 के बीच दस (10) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वयं को पूर्णतः साक्षर घोषित किया है। इनमें लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं।

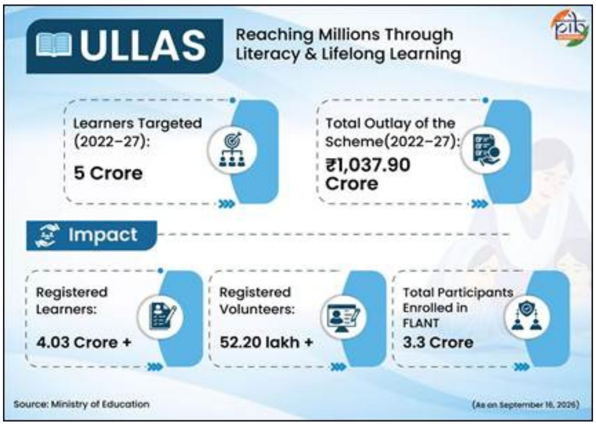

- **निपुण भारत (2021):** इसका उद्देश्य 2026-27 तक सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करना है, ताकि 3–8 वर्ष की आयु के बच्चों में कक्षा 2 तक बुनियादी कौशल सुनिश्चित किए जा सकें।

अन्य सहायक योजनाएँ:

- **समग्र शिक्षा:** समावेशी स्कूली शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, शिक्षक विकास और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण पर केंद्रित।
- **पीएम श्री:** 14,500 से अधिक आदर्श विद्यालयों को सुदृढ़ करना।
- **पीएम ई-विद्या:** बहु-माध्यमीय डिजिटल, ऑनलाइन और प्रसारण-आधारित शिक्षा, जिससे लगभग 25 करोड़ बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- **पीएम पोषण:** 10.36 लाख विद्यालयों में 11.20 करोड़ विद्यार्थियों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना, जिससे पोषण और विद्यालयी भागीदारी को समर्थन मिलता है।

साक्षरता और विकसित भारत

- साक्षरता महिलाओं के सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशन, रोजगार क्षमता, उत्पादकता, नवाचार और आर्थिक भागीदारी में योगदान देती है।
- यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 4 के केंद्र में है, जिसका उद्देश्य समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा आजीवन सीखने के अवसर सुनिश्चित करना है।

आगे की राह

- भारत की चुनौती अब साक्षरता तक पहुँच से आगे बढ़कर साक्षरता की गुणवत्ता की ओर बढ़ना है। प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए:
  - ग्रामीण-शहरी और लैंगिक असमानताओं को कम करना;
  - बुनियादी शिक्षा को सुदृढ़ करना;
  - माध्यमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने की दर को कम करना;
  - डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का विस्तार करना;
  - शिक्षक क्षमता और सीखने के परिणामों में सुधार करना;
  - शिक्षा को रोजगार योग्य और भविष्य के लिए तैयार कौशल से जोड़ना;
  - वयस्क साक्षरता में सामुदायिक भागीदारी को बनाए रखना;

स्रोत: PIB

भारत में साइबर अपराधों में वृद्धि

सन्दर्भ

- NCRB की **क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट** के अनुसार, 2023 की तुलना में 2024 में भारत में अपराध की समग्र दर में 6% की कमी आई, लेकिन साइबर अपराध के मामलों में 17% से अधिक की वृद्धि हुई।

साइबर अपराध का परिचय

- साइबर अपराध उन आपराधिक गतिविधियों को संदर्भित करता है, जिनमें कंप्यूटर, नेटवर्क और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है।

- इसमें आभासी क्षेत्र में की जाने वाली अवैध गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनका उद्देश्य अक्सर कंप्यूटर प्रणालियों, नेटवर्क और डेटा से समझौता करना, उन्हें नुकसान पहुँचाना या उन तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त करना होता है।
- साइबर अपराधी नेटवर्क की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करते हैं तथा वे व्यक्तियों, संगठनों या यहाँ तक कि सरकारों को भी निशाना बना सकते हैं।

साइबर अपराधों की प्रकृति:

- ऐसे फोन कॉल बार-बार प्राप्त होना जिनमें उन वस्तुओं की डिलीवरी के बारे में बताया जाता है जिन्हें उन्होंने कभी ऑर्डर नहीं किया; अधिक लाभ वाले निवेश के नाम पर धोखाधड़ी वाले फोन कॉल; बैंक अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत बैंक खाते का विवरण माँगना; तथा ऐसे फोन कॉल जिनमें बताया जाता है कि उनका फोन अवैध गतिविधियों से जुड़ा हुआ है या किसी अज्ञात नंबर से फोन करके स्वयं को उनका मित्र बताना और तत्काल धन की आवश्यकता होने का दावा करना।
- पुलिस या किसी अधिकारी के रूप में फोन करके यह दावा करना कि उनका कोई मित्र या रिश्तेदार खतरे में है या उसने किसी प्रकार का अपराध किया है।
- **कार्यप्रणाली (Modus Operandi):**
  - केवल तकनीकी विशेषज्ञता पर निर्भर रहने के बजाय, धोखाधड़ी करने वाले सामाजिक संबंधों और संस्थागत विश्वसनीयता को निशाना बनाते हैं।
  - निवेश संबंधी घोटाले जल्दी अमीर बनने की आकांक्षा का लाभ उठाते हैं, डिलीवरी संबंधी घोटाले ई-कॉमर्स में विश्वास का फायदा उठाते हैं, बैंक का प्रतिरूपण संस्थागत विश्वसनीयता का उपयोग करता है और फर्जी पुलिस कॉल अधिकारी के भय का फायदा उठाते हैं।

साइबर अपराधों का प्रभाव

- **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा:** जब राज्य-प्रायोजित समूह या आपराधिक संगठन महत्त्वपूर्ण अवसंरचना, सरकारी संस्थानों या सैन्य प्रणालियों को निशाना बनाते हैं, तो साइबर अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।
- **डेटा उल्लंघन:** डेटा उल्लंघन से व्यक्तिगत जानकारी, व्यापार रहस्य, बौद्धिक संपदा और अन्य गोपनीय डेटा उजागर हो जाते हैं, जिससे प्रभावित संस्थाओं को गंभीर क्षति होती है।
- **वित्तीय नुकसान:** साइबर धोखाधड़ी, रैनसमवेयर, फिशिंग और ऑनलाइन घोटाले व्यक्तियों, बैंकों, व्यवसायों और सरकारों को पर्याप्त वित्तीय नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- **सेवाओं में व्यवधान**: साइबर हमले विद्युत ग्रिड, संचार नेटवर्क और परिवहन प्रणालियों जैसी आवश्यक सेवाओं को बाधित करते हैं।
- **विश्वास में कमी:** बार-बार होने वाली साइबर धोखाधड़ी और डेटा उल्लंघन से डिजिटल भुगतान, ई-शासन, ऑनलाइन बैंकिंग और अन्य डिजिटल सेवाओं में जनता का विश्वास कम होता है।

घोटालों से निपटने में प्रमुख चुनौतियाँ

- **उच्च-तकनीकी उपकरण**: डीपफेक, नंबर स्पूफिंग, एन्क्रिप्टेड संदेश और डार्क वेब पर डेटा लीक जैसी तकनीकों के उपयोग से अपराध के स्रोत की पहचान करना कठिन हो जाता है।
- **मनोवैज्ञानिक दबाव**: धोखाधड़ी करने वाले भय, तात्कालिकता और अधिकारी के पद का फायदा उठाते हैं, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाते हैं।
- **तत्काल भुगतान प्रणालियाँ**: UPI और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से तेजी से धन हस्तांतरण होने के कारण घोटाला करने वाले खाते फ्रीज होने से पहले ही धन निकाल सकते हैं।
- **प्रवर्तन और रिपोर्टिंग संबंधी बाधाएँ**: भय या शर्मिंदगी के कारण पीड़ितों द्वारा शिकायत दर्ज करने में देरी, सीमा-पार कानूनी चुनौतियों के साथ मिलकर समस्या को बढ़ाती है।

साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए भारत सरकार की पहल

- **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In):** CERT-In साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
- यह सक्रिय और प्रतिक्रियात्मक साइबर सुरक्षा सहायता प्रदान करता है तथा देश के साइबर बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा और लचीलेपन को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)**: NCIIPC साइबर खतरों से महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।
- यह महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान और उन्हें निर्दिष्ट करता है तथा इन क्षेत्रों के संगठनों को अपनी साइबर सुरक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के संबंध में सलाह देता है।
- **महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (CCPWC) योजना:** गृह मंत्रालय ने इस योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, ताकि साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित करने, प्रशिक्षण प्रदान करने और कनिष्ठ साइबर सलाहकारों की नियुक्ति के उनके प्रयासों को समर्थन दिया जा सके।
- **जन-जागरूकता**: SMS, रेलवे/हवाई अड्डे के प्रदर्शन-पट्टों और CyberDost पहल के माध्यम से नियमित चेतावनियाँ प्रसारित की जाती हैं।
- **स्पूफिंग-रोधी प्रणालियाँ**: दूरसंचार विभाग द्वारा घरेलू भारतीय नंबर के रूप में छिपाकर की जाने वाली आने वाली अंतरराष्ट्रीय कॉलों की पहचान और उन्हें अवरुद्ध करने के उपाय किए जाते हैं।

NEXT IAS हिन्दी

- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):** यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) को व्यापक और समन्वित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक रूपरेखा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है।
- I4C के तहत मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी में सात क्षेत्रों के लिए 'संयुक्त साइबर समन्वय दल' गठित किए गए हैं।
- **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल**: इसे जनता को सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया है।
- ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए टोल-फ्री नंबर 1930 को संचालित किया गया है।
- नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल भी शुरू किया गया है, ताकि वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग की जा सके और धोखाधड़ी करने वालों द्वारा धन को निकालने से रोका जा सके।
- **साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट सफाई और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र):** इस पहल का उद्देश्य बॉटनेट और मैलवेयर संक्रमण के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा उनकी पहचान और सफाई के लिए उपकरण उपलब्ध कराना है।
- यह नागरिकों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी सुझाव और सर्वोत्तम प्रथाएँ भी उपलब्ध कराता है।

स्रोत: TH

सहायता-प्राप्त मृत्यु

सन्दर्भ

- पोप लियो XIV ने सहायता-प्राप्त मृत्यु को "झूठी करुणा" कहा है, जो इस दृष्टिकोण को मजबूत करता है कि कैथोलिक चर्च के अनुसार गर्भाधान से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक जीवन पवित्र है।

प्रमुख अवधारणाएँ

- **निष्क्रिय इच्छामृत्यु:** जीवन रक्षक प्रणाली को रोकना या हटा देना।
- **सक्रिय इच्छामृत्यु:** डॉक्टर द्वारा जानबूझकर घातक पदार्थ देना।
- **सहायता-प्राप्त आत्महत्या:** डॉक्टर द्वारा उपलब्ध कराए गए घातक पदार्थ को रोगी द्वारा स्वयं लेना।

इसके विरुद्ध तर्क

- **जीवन की पवित्रता:** जीवन एक उपहार है, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। इसे समाप्त करना मानव गरिमा को कमजोर करता है।
- **करुणा की पुनर्परिभाषा:** सच्ची करुणा का अर्थ पीड़ित को समाप्त करना नहीं, बल्कि उपशामक देखभाल के माध्यम से बीमार व्यक्ति के साथ बने रहना है।
- **असुरक्षा:** बुजुर्ग, दिव्यांग और गरीब रोगी स्वयं को परिवार या स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ समझ सकते हैं।
- **चिकित्सकीय नैतिकता:** यह हिप्पोक्रेटिक सिद्धांत "हानि न पहुँचाओ" के विपरीत है और डॉक्टरों में विश्वास को कमजोर करता है।

इसके पक्ष में तर्क

- **स्वायत्तता**: व्यक्तियों को अपनी मृत्यु का तरीका तय करने का अधिकार होना चाहिए, विशेष रूप से अपरिवर्तनीय पीड़ा की स्थिति में।
- **गरिमा**: अनुच्छेद 21 जीवन जीने में गरिमा के साथ-साथ, विस्तारतः गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को भी समाहित करता है। उदाहरण के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कॉमन कॉज (2018) मामले में गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को मान्यता दी।
- **पीड़ा से राहत:** अंतिम अवस्था की बीमारी अक्सर ऐसी पीड़ा उत्पन्न करती है जिसे उपशामक देखभाल पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकती।
- **संसाधनों का उपयोग**: लंबे समय तक चलने वाला निष्फल उपचार परिवारों और सीमित आईसीयू क्षमता पर बोझ डालता है।

भारत का दृष्टिकोण

- **अरुणा शानबाग (2011):** सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की निगरानी के साथ निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी।
- **कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018):** निष्क्रिय इच्छामृत्यु और अग्रिम चिकित्सा निर्देशों (लिविंग विल) को कानूनी मान्यता दी गई।
- **वर्ष 2023 में संशोधन**: प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। अब चिकित्सा बोर्ड निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय लेते हैं और लिविंग विल के लिए केवल नोटरी या राजपत्रित अधिकारी का सत्यापन आवश्यक है।
- **सक्रिय इच्छामृत्यु**: यह अभी भी अवैध है और भारतीय न्याय संहिता के तहत गैर-इरादतन हत्या संबंधी प्रावधान लागू हो सकते हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017:** यह आत्महत्या के प्रयासों में गंभीर तनाव की धारणा करता है और व्यवहार में उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर करता है।
- **उपशामक देखभाल(Palliative care):** राष्ट्रीय उपशामक देखभाल कार्यक्रम (2012) मौजूद है, लेकिन इसकी पहुँच अभी भी बहुत सीमित है। केरल का सामुदायिक मॉडल उल्लेखनीय अपवाद है।

NEXT IAS हिन्दी

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **कमजोर उपशामक देखभाल अवसंरचना**: जब अच्छी चिकित्सा देखभाल उपलब्ध नहीं हो, तब मृत्यु का विकल्प चुनना स्वतंत्र विकल्प नहीं माना जा सकता।
- **कार्यान्वयन संबंधी कमियाँ**: बहुत कम लिविंग विल बनाई जाती हैं और अस्पतालों में चिकित्सा बोर्ड की प्रक्रियाओं को लेकर स्पष्टता का अभाव है।
- **दुरुपयोग का जोखिम**: संपत्ति विवाद और परिवार का दबाव सहमति को प्रभावित कर सकते हैं, विशेष रूप से कम स्वास्थ्य साक्षरता और अधिक व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यय की स्थिति में।
- **निर्णय लेने की क्षमता का निर्धारण**: अवसाद मृत्यु की इच्छा जैसा प्रतीत हो सकता है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य की जाँच आवश्यक है।
- **नैतिक बहुलवाद**: भारत की धार्मिक विविधता जीवन के अंतिम चरण की देखभाल पर एक समान दृष्टिकोण को विवादास्पद बनाती है।
- **डॉक्टर की दुविधा**: कानूनी दायित्व के भय से रक्षात्मक चिकित्सा को बढ़ावा मिलता है और या तो अत्यधिक उपचार या अपर्याप्त उपचार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

आगे की राह

- **पहले उपशामक देखभाल को मजबूत करना:** इसे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में एकीकृत किया जाए तथा डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षित किया जाए।
- **स्पष्ट कानून**: जीवन के अंतिम चरण से संबंधित निर्णयों पर एक समर्पित कानून, जैसा कि विधि आयोग की 241वीं रिपोर्ट (2012) और 196वीं रिपोर्ट (2006) में अनुशंसित किया गया था, केवल न्यायिक दिशानिर्देशों पर निर्भरता को समाप्त करेगा।
- **सुरक्षा उपाय**: इनमें कई स्वतंत्र चिकित्सकीय राय, मनोरोग मूल्यांकन, निर्णय पर पुनर्विचार के लिए निर्धारित अवधि तथा न्यायिक या बोर्ड की निगरानी शामिल होनी चाहिए।
- **जागरूकता**: डिजिटल रजिस्ट्रियों के माध्यम से लिविंग विल को बढ़ावा दिया जाए, जैसे उन्हें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य अभिलेखों से जोड़ा जाना।
- **नैतिकता समितियाँ:** पारदर्शी निर्णयों के लिए अस्पतालों में स्थायी जैव-नैतिकता समितियाँ स्थापित की जानी चाहिए।
- **अंतरराष्ट्रीय अनुभव से सीख**: पात्रता के विस्तार के संबंध में बेल्जियम और नीदरलैंड के अनुभव तथा कड़े विनियमन के संबंध में स्विट्जरलैंड और ओरेगन के मॉडलों का अध्ययन किया जाना चाहिए।

स्रोत: HT

आपदा प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

सन्दर्भ

- नेपाल में हाल की आपदा प्रतिक्रिया पहलों ने आपदा प्रबंधन की गति और सटीकता को बढ़ाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और भीड़-स्रोतित जानकारी की क्षमता को उजागर किया है।

आपदा प्रबंधन में AI की भूमिका

- **प्रारंभिक चेतावनी और पूर्वानुमान**: AI ऐतिहासिक मौसम संबंधी अभिलेखों और वर्तमान मौसम संबंधी अवलोकनों के विशाल आँकड़ों को संसाधित करके ऐसे पूर्वानुमान उपलब्ध करा सकता है, जो अधिक तेज और किसी विशेष स्थान के लिए अधिक विशिष्ट होते हैं।
- गूगल फ्लड हब बाढ़ के खतरों के बारे में अग्रिम जानकारी प्रदान करने के लिए मौसम और जल-विज्ञान संबंधी सूचनाओं का उपयोग करता है।
- **जोखिम मानचित्रण**: AI उपग्रह चित्रों, भौगोलिक आँकड़ों, मौसम संबंधी जानकारी, मानचित्रों और प्रशासनिक डेटाबेस को एकीकृत करके उन क्षेत्रों की पहचान कर सकता है, जो कुछ विशेष खतरों से जोखिम में हैं।
- **प्रतिक्रिया, राहत और बचाव**: आपदाएँ स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, आपातकालीन कॉल, ड्रोन और सरकारी डेटाबेस से भारी मात्रा में जानकारी उत्पन्न करती हैं।
- AI इस असंरचित आँकड़ों का प्रबंधन कर सकता है और मैनुअल प्रणालियों की तुलना में बहुत तेजी से उपयोगी पैटर्न की पहचान कर सकता है।
- नेपाल की आपदा में, AI-संचालित एक वेबपेज ने लापता व्यक्तियों से संबंधित भीड़-स्रोतित जानकारी को मृत या घायल लोगों के आधिकारिक अभिलेखों से जोड़ने में सहायता की।
- तापीय इमेजिंग वाले ड्रोन मलबे के नीचे मानव शरीर से निकलने वाले ऊष्मा संकेतों का पता लगा सकते हैं और बचाव दल को संभावित पीड़ितों तक पहुँचने में मार्गदर्शन कर सकते हैं।
- **आपदा के बाद पुनर्प्राप्ति**: AI और उपग्रह-आधारित तकनीकें अलग-थलग पड़े गाँवों, नष्ट हुए बुनियादी ढाँचे, अवरुद्ध राजमार्गों और आपातकालीन हेलीकॉप्टर संचालन के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता कर सकती हैं।
- अधिकारी इस जानकारी का उपयोग भोजन, दवाइयों, आश्रय और अन्य राहत सामग्री के वितरण को प्राथमिकता देने के लिए कर सकते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रमुख अनुप्रयोग

- GraphCast: AI-संचालित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, जो तेजी से विश्वभर के मौसम के पूर्वानुमान तैयार कर सकती है।

NEXT IAS हिन्दी

- Google Flood Hub: AI-आधारित बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी संबंधी जानकारी प्रदान करता है।
- DisasterAWARE: जोखिम की निगरानी और जोखिम आकलन को सक्षम बनाने के लिए भौगोलिक और आपदा संबंधी जानकारी का उपयोग करता है।
- SKAI: आपदा से हुए नुकसान का तेजी से विश्लेषण करने में सहायता के लिए उपग्रह चित्रों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है।

चुनौतियाँ क्या हैं?

- AI मॉडल पर्याप्त मात्रा में ऐसे आँकड़ों पर निर्भर करते हैं, जो सटीक और विश्वसनीय हों; लेकिन आपदाओं के दौरान ऐसे आँकड़े उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।
- जिन समुदायों की स्मार्टफोन, इंटरनेट संपर्क या डिजिटल सेवाओं तक सीमित पहुँच है, उनका AI द्वारा तैयार आकलनों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है।
- सोशल मीडिया और भीड़-स्रोतित मंच बड़ी मात्रा में गलत, दोहराई गई या भ्रामक जानकारी उत्पन्न कर सकते हैं।
- किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के आँकड़ों पर प्रशिक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियाँ अलग भू-भाग, जलवायु और बस्तियों के स्वरूप वाले दूसरे क्षेत्र में उतनी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती हैं।
- लापता व्यक्तियों, स्थानों और घटना से प्रभावित समूहों से संबंधित जानकारी डेटा संरक्षण से जुड़े प्रश्न उठाती है।
- यदि AI के परिणामों का उपयोग निकासी, बचाव या राहत संबंधी निर्णय लेने के लिए किया जाता है, तो AI द्वारा की गई गलतियाँ गंभीर हो सकती हैं।

आगे की राह

- AI को मानव निर्णय लेने के विकल्प के रूप में देखने के बजाय मौजूदा आपदा-प्रबंधन संस्थानों के साथ एकीकृत किया जाए।
- मौसम, भू-भाग, बुनियादी ढाँचे, संवेदनशीलता और पिछली आपदाओं से संबंधित भारत-केंद्रित अति-स्थानीय आँकड़ों का निर्माण किया जाए।
- आपातकाल के दौरान पहुँच को सुगम बनाने के लिए क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में स्वचालित प्रणालियाँ विकसित की जाएँ।
- IMD, ISRO, NDMA, राज्य आपदा-प्रबंधन प्राधिकरणों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और स्थानीय प्रशासन के बीच अंतर-संचालनीयता को मजबूत किया जाए।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

घासभूमियाँ

सन्दर्भ

- एक नए अध्ययन में पाया गया है कि सहस्राब्दियों में विकसित हुई घासभूमियाँ शायद ही कभी अपनी मूल अवस्था में वापस लौटती हैं। यहाँ तक कि जब वे पुनः विकसित होती हैं, तब भी पुनर्जीवित घासभूमियों में अलग-अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

घासभूमियाँ

- घासभूमियाँ अंटार्कटिका को छोड़कर प्रत्येक महाद्वीप में पाई जाती हैं। पृथ्वी का एक-चौथाई भाग घासभूमियों से ढका हुआ है।
- अफ्रीका में इन्हें सवाना और वेल्ड, दक्षिण अमेरिका में पम्पास, यूरोप और एशिया में स्टेपी, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी या घासभूमि तथा ऑस्ट्रेलिया में चरागाह भूमि कहा जाता है।
- घासभूमियों की दो सबसे मूलभूत विशेषताएँ क्षेत्र में प्रमुख प्रकार के पौधे के रूप में घास की प्रजातियों की उपस्थिति और सामान्यतः ऊँची वनस्पति का अभाव हैं।
- यहाँ रेगिस्तानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, लेकिन वनों की तुलना में कम वर्षा होती है।
- ये सामान्यतः महाद्वीपों के शुष्क आंतरिक भागों में, पर्वतों और रेगिस्तानों के बीच पाई जाती हैं।
- **दो उपसमूह:** उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण।
- **उष्णकटिबंधीय घासभूमियाँ**: यहाँ की जलवायु सामान्यतः गर्म और आर्द्र होती है तथा यद्यपि प्रमुख वनस्पति घास होती है, फिर भी कुछ बिखरे हुए पेड़ यहाँ उग सकते हैं।
- **समशीतोष्ण घासभूमियाँ:** ये भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच स्थित होती हैं। इन घासभूमियों में तापमान में अधिक भिन्नता होती है तथा इनमें लंबे घास वाले प्रेयरी और छोटे घास वाले स्टेपी दोनों शामिल होते हैं।

पारिस्थितिक महत्त्व

- **कार्बन भंडारण**: घासभूमियों की जड़ प्रणालियों और मिट्टी में कार्बन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा भूमिगत रूप से संग्रहीत होता है।
- **जैव विविधता**: ये काला हिरण, भारतीय भेड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और फ्लोरिकन जैसी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं।
- **आजीविका**: पशुपालन और पशु चराई को समर्थन देती हैं।
- **मृदा संरक्षण**: घनी जड़ प्रणालियाँ मृदा अपरदन को कम करने में सहायता करती हैं।

NEXT IAS हिन्दी

भारत की घासभूमियाँ

- हिमालयी और तराई घासभूमियाँ, थार मरुस्थल और गुजरात की बन्नी घासभूमियाँ, दक्कन के सवाना, अरावली के झाड़ीदार क्षेत्र, यमुना-चंबल के बीहड़, पश्चिमी घाट के चट्टानी पठार, मध्य निकोबार द्वीप समूह की घासभूमियाँ और तमिलनाडु के थेरी काडु के झाड़ीदार परिदृश्य।

स्रोत: TH

अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC)

सन्दर्भ

- भारत ने ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC-70) की 70वीं बैठक में व्हेल और अन्य सीतासियन जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।

परिचय

- अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC) की स्थापना 1946 में हस्ताक्षरित व्हेलिंग के विनियमन के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के तहत की गई थी। यह व्हेल के शिकार के प्रबंधन और व्हेल के संरक्षण के लिए जिम्मेदार वैश्विक निकाय है।
- 1982 में वाणिज्यिक व्हेलिंग पर रोक अपनाई गई और यह 1986 में पूरी तरह लागू हुई।
- आयोग मूलनिवासी निर्वाह व्हेलिंग को विनियमित करना जारी रखता है, जो स्वदेशी समुदायों द्वारा की जाती है और अक्सर दुनिया के दूरस्थ हिस्सों में संचालित होती है।
- अभिसमय व्हेलिंग के तीन अलग-अलग प्रकारों को मान्यता देता है: वाणिज्यिक व्हेलिंग, मूलनिवासी निर्वाह व्हेलिंग और विशेष अनुमति व्हेलिंग (जिसे वैज्ञानिक व्हेलिंग भी कहा जाता है)।
- इसकी सदस्यता में दुनियाभर की 89 सरकारें शामिल हैं।
- भारत 1981 से अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग का सदस्य है।

स्रोत: PIB

भारत के प्रथम PRAMAAN प्रमाणपत्र

sसन्दर्भ

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना (IFWCS) के तहत भारत के प्रथम PRAMAAN प्रमाणपत्र प्रदान किए।

परिचय

- **PRAMAAN:** कृषि वानिकी और प्राकृतिक वानिकी संसाधनों की सतत प्रबंधन प्रथाओं की मान्यता और प्रत्यायन का कार्यक्रम।

प्रमाणपत्र निम्नलिखित को प्रदान किए गए:

- आंध्र प्रदेश वन विकास निगम (APFDC) को, जो 33,000 हेक्टेयर में फैले अपने वृक्षारोपण क्षेत्रों का प्रबंधन करता है,
- तथा गोविंद महापात्र को, जो ओडिशा बाँस विकास एजेंसी (OBDA) से जुड़े एक बाँस किसान हैं।

भारत के प्रथम PRAMAAN प्रमाणपत्रों के बारे में

- PRAMAAN वनों, लकड़ी और गैर-इमारती वन उत्पादों के प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत एक रूपरेखा है।
- इस पहल का उद्देश्य प्रमाणित वनों तथा कृषि वानिकी उत्पादों और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बीच संबंधों को मजबूत करना है।
- इस रूपरेखा के तहत, वन प्रबंधन प्रमाणन का आकलन राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 से प्राप्त भारतीय वन प्रबंधन मानकों के आधार पर किया जाता है।
- प्रमाणन का आधार मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों द्वारा किए जाने वाले स्वतंत्र लेखा-परीक्षण हैं।

भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2023 में भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की।
- यह राष्ट्रीय वन प्रमाणन योजना है, जो देश में सतत वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक तृतीय-पक्ष प्रमाणन प्रदान करती है।
- इस योजना में वन प्रबंधन प्रमाणन, वन क्षेत्र के बाहर वृक्ष प्रबंधन प्रमाणन और अभिरक्षा श्रृंखला प्रमाणन शामिल हैं।
- इस योजना की देखरेख भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन परिषद द्वारा की जाती है, जो एक बहु-हितधारक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है।
- भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल योजना की संचालन एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड उन प्रमाणन निकायों को प्रत्यायन प्रदान करता है, जो स्वतंत्र लेखा-परीक्षण करते हैं और योजना के तहत निर्धारित मानकों के प्रति विभिन्न संस्थाओं के अनुपालन का आकलन करते हैं।

स्रोत: DD

भारत और जापान का UNICORN नौसैनिक रडार समझौता

सन्दर्भ

- जापान ने भारत से UNICORN (Unified Complex Radio Antenna) नौसैनिक रडार प्रणाली से संबंधित समझौते की आंतरिक आधिकारिक प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का आग्रह किया।

NEXT IAS हिन्दी

परिचय

- भारत और जापान के बीच UNICORN समझौता 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान औपचारिक रूप दिया गया पहला संयुक्त रक्षा सह-विकास परियोजना समझौता है।
- इसे सैन्य दृष्टि से अत्याधुनिक, हथियार-श्रेणी की नौसैनिक स्टेल्थ एंटीना प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इसे मूल रूप से जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स के लिए विकसित किया गया था और यह जापान के उन्नत मोगामी-श्रेणी के स्टेल्थ फ्रिगेट्स की प्रमुख स्टेल्थ विशेषता है।
- इसे एक चिकने, एकीकृत सींग के आकार के गुंबद के भीतर रखा जाता है। इसलिए शत्रु के रडार स्क्रीन पर युद्धपोत बहुत छोटा या पूरी तरह अदृश्य दिखाई दे सकता है।
- इसके विपरीत, पारंपरिक युद्धपोतों में खुले और "अव्यवस्थित" एंटीना समूह होते हैं, जो बड़े रडार संकेत उत्पन्न करते हैं।
- UNICORN समझौते के तहत, भारत की सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) उन्नत स्टेल्थ मस्तूल के सह-उत्पादन के लिए जापान की प्रमुख रक्षा कंपनियों के साथ सहयोग करेगी।
- UNICORN मस्तूल भारतीय नौसेना की पुरानी उन्नत समग्र संचार प्रणाली (ACCS) का स्थान लेगा।
- इसे भविष्य के सतही युद्धपोतों, अगली पीढ़ी के फ्रिगेट्स और निर्देशित-मिसाइल विध्वंसक पोतों में एकीकृत करने की योजना है।
- यह भारत-जापान समझौता जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगाए गए कठोर रक्षा निर्यात प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद संवेदनशील जापानी रक्षा प्रौद्योगिकी प्राप्त करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा एशियाई राष्ट्र भारत को बनाता है।

स्रोत: TH

पशुधन बीमा पोर्टल

चर्चा में क्यों?

- सरकार ने नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल का शुभारंभ किया।

पशुधन बीमा पोर्टल

- यह एक व्यापक डिजिटल मंच है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के तहत पशुधन बीमा गतिविधि के माध्यम से पूरे देश में पशुधन बीमा वितरण प्रणाली में परिवर्तन लाना है।
- इसे पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) द्वारा विकसित और प्रशासित किया गया है।
- यह पशुपालन एवं डेयरी विभाग की पशुधन बीमा योजना के तहत बीमित पशुओं के मामले में बीमा पॉलिसी जारी करने, दावों के प्रसंस्करण, निगरानी और रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने में सक्षम बनाएगा।
- यह 13 भाषाओं में उपलब्ध होगा, जिसमें 11 क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिंदी और अंग्रेजी शामिल हैं। इससे पशुपालकों और ग्रामीण पशुधन मालिकों के लिए पशुधन बीमा अधिक सुलभ हो जाएगा।
- अब किसान अपने बीमा आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे, जबकि पूरी प्रक्रिया की निगरानी डिजिटल रूप से की जाएगी।

स्रोत: AIR

मांदर को भौगोलिक संकेतक टैग

सन्दर्भ

- झारखंड के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र मांदर को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त हुआ है।

मांदर के बारे में

- मांदर एक पारंपरिक दो-मुँह वाला ताल वाद्य यंत्र है, जिसका झारखंड के लोक संगीत और नृत्य परंपराओं में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- यह विशेष रूप से छोटानागपुर क्षेत्र के उरांव और अन्य जनजातीय समुदायों से जुड़ा हुआ है।
- यह वाद्य यंत्र सामुदायिक उत्सवों, धार्मिक त्योहारों और पारंपरिक नृत्यों, जिनमें सरहुल और करमा शामिल हैं, में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

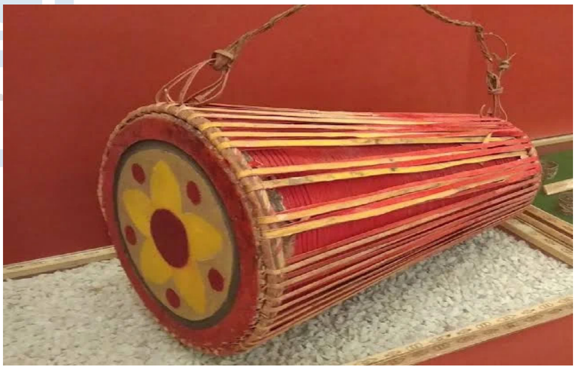

भौगोलिक संकेतक (GI)

- भौगोलिक संकेतक (GI) एक ऐसा चिन्ह है, जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और जिनके गुण या प्रतिष्ठा उस उत्पत्ति के कारण होती है।
- GI के रूप में कार्य करने के लिए किसी चिन्ह को किसी उत्पाद की पहचान इस रूप में करनी चाहिए कि वह किसी विशिष्ट स्थान से उत्पन्न हुआ है।
- भौगोलिक संकेतकों का सामान्यतः कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, मदिरा एवं मादक पेय पदार्थों, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है।
- पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय भारत का GI टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद था।

भौगोलिक संकेतक (GI) का विनियमन

- बौद्धिक संपदा के एक रूप के रूप में, GI को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन तथा विश्व व्यापार संगठन (WTO) के व्यापार-संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों (TRIPS) पर समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
- भारत में इनके पंजीकरण और संरक्षण की देखरेख 1999 के अधिनियम के तहत भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा की जाती है।
- भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 तथा इसके तहत 2002 में अधिसूचित नियमों के माध्यम से विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़े उत्पादों के संरक्षण के लिए कानूनी ढाँचा स्थापित किया।
- यह ढाँचा वर्ष 2003 में लागू हुआ और GI पंजीकरण 2004–05 में शुरू हुआ।
- किसी भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है।
- वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 में 2025 में संशोधन किया गया।

स्रोत: AIR

केंद्र ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटाया

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने पाम तेल सहित प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) घटा दी।
- तेल घरों द्वारा बार-बार खरीदी जाने वाली आवश्यक वस्तु है, इसलिए कम कीमतें खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और गरीबों की वास्तविक आय की रक्षा करने में मदद करती हैं।

बेसिक कस्टम्स ड्यूटी

- यह आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है और इसकी गणना सामान्यतः उत्पाद के निर्धारित मूल्य के आधार पर की जाती है।
- यह उत्पाद के HSN कोड और उस देश जैसे कारकों के आधार पर शून्य से 100 प्रतिशत तक हो सकता है, जहाँ से इसे आयात किया जाता है।
- मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के तहत आयातित वस्तुओं को सामान्यतः BCD से छूट दी जाती है। इसमें समय-समय पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधन किया जाता है।

कच्चे तेल क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?

- **आयातित लागत**: शुल्क आयातित वस्तु की कुल लागत का हिस्सा होता है, इसलिए कच्चे तेल पर शुल्क कम करने से पूरी आपूर्ति श्रृंखला की लागत कम होती है।
- **घरेलू स्तर पर मूल्य संवर्धन**: कच्चे तेल को भारत में परिष्कृत किया जाता है, जिससे प्रसंस्करण से जुड़े रोजगार और लाभ का एक हिस्सा देश में ही रहता है। उदाहरण के लिए, कांडला, मंगलुरु और काकीनाडा की तटीय रिफाइनरियाँ कच्चे तेल के आयात पर निर्भर करती हैं।
- **पाम तेल की भूमिका**: पाम तेल सबसे सस्ता और सबसे अधिक आयात किया जाने वाला तेल है, इसलिए इसमें किसी भी शुल्क परिवर्तन का प्रभाव समग्र खाद्य तेल की कीमतों पर पड़ता है। इसे मुख्यतः इंडोनेशिया और मलेशिया से प्राप्त किया जाता है।
- **प्रतिस्थापन प्रभाव:** खाद्य तेल एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए पाम तेल पर कम शुल्क सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की कीमतों को भी नियंत्रित रखता है।

भारत की प्रतिक्रिया

- **खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन – ऑयल पाम (2021):** घरेलू पाम की खेती को बढ़ावा देता है, जिसमें पूर्वोत्तर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- **खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन – तिलहन (2024):** गुणवत्तापूर्ण बीजों और मूल्य श्रृंखला के समर्थन के माध्यम से तिलहन उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और खरीद:** प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM AASHA) और मूल्य समर्थन तिलहन किसानों की सुरक्षा करते हैं।
- **भंडार की निगरानी:** आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भंडार सीमा और कीमतों की निगरानी जमाखोरी को रोकने में मदद करती है।
- **प्रौद्योगिकी**: उच्च उपज वाली किस्में और लंबित आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) सरसों संबंधी बहस खाद्य तेलों में आयात निर्भरता कम करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

स्रोत: TH

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ((GRAP)

चर्चा में क्यों?

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिए संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है।

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)

- GRAP रूपरेखा को वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मंजूरी दी गई थी और तब से इसके कार्यान्वयन की निगरानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) (वैधानिक निकाय) द्वारा की जा रही है।
- यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि वायु प्रदूषण के विभिन्न चरणों में बढ़ने के साथ दिल्ली-NCR की सरकारों को कौन-से कदम उठाने चाहिए।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जैसे ही वायु प्रदूषण एक निश्चित स्तर तक पहुँचे, कुछ कदम या प्रतिबंध तुरंत लागू कर दिए जाएँ, बजाय इसके कि वायु गुणवत्ता और खराब होने की प्रतीक्षा की जाए।

चरण

- ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के स्तर के आधार पर चार चरणों में लागू किया जाता है।

स्रोत: TH

■■■■

NEXT IAS हिन्दी